

अनुदान संख्या 67 – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 67 - MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving—
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	10724,54,00		
			10724,56,00	7405,20,63
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1664,83,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	90,00,00	50,99,99	-39,00,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			39,00,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	52500.00		
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-52501.00		

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष "2810"	Head Major Head "2810"	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy	
मू.	O.	1016300.00
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-114016.00

(I) ₹52501.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2018 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "2552" – "नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा – ग्रिड इंटरैक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत" के अंतर्गत दो मामलों में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा:-

(का) "ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा" – ₹38901.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(खा) "ऑफ-ग्रिड/वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत" – ₹13600.00 लाख ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(II) मुख्य शीर्ष "2810" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई:-

(का) "ग्रिड इंटरैक्टिव तथा वितरित नवीकरणीय विद्युत – ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय विद्युत" – ₹112095.93 लाख की बचत (₹359150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए कम निधियों की आवश्यकता, उपयोग प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत न किए जाने और वित्त मंत्रालय

(I) Provision of ₹52501.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2018) remained wholly unutilized in two cases under Major Head "2552" - "New and Renewable Energy - Grid Interactive and Distributed Renewable Power" - under the following heads:-

(A) "Grid Interactive Renewable Power"- ₹38901.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(B) "Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power" - ₹13600.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2810"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Grid Interactive and Distributed Renewable Power - Grid Interactive Renewable Power"- saving of ₹112095.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹359150.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards achievement linked incentive programme for Government sector projects,

द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी के कारण हुई।

(खा) “नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास” –

(क) “स्वायत्त निकाय” – ₹1435.98 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप पूरा न किए जाने, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कार्य न पूरा किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) “अनुसंधान और विकास” – ₹7108.36 लाख की बचत (₹14400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पनबिजली ऊर्जा स्कीम को समाप्त करने, तकनीकी मूल्यांकन के अभाव में प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) “सहायक कार्यक्रम – सहायक कार्यक्रम” – ₹12322.65 लाख की बचत (₹19660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रयोगशाला/पुस्तकालय भवन के उन्नयन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने, विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – ऑफ ग्रीड/वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विद्युत” – ₹4446.08 लाख की बचत (₹18400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ङ) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना” –

non-submission of utilization certificates and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Research, Design and Development in Renewable Energy”-

(a) “Autonomous Bodies”- saving of ₹1435.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs) was due to non-finalization of tender process, non-completion of work by NBCC (India) Limited and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Research and Development”- saving of ₹7108.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14400.00 lakhs) was due to discontinuation of hydro energy scheme, non-finalisation of proposals pending technical evaluation and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Supporting Programmes - Supporting Programmes”- saving of ₹12322.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19660.00 lakhs) was due to less training programmes, non-receipt of suitable proposals for upgradation of laboratory/library building, non-submission of utilization certificates by universities and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power” - saving of ₹4446.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18400.00 lakhs); and

(E) “Tribal Area Sub-Plan”-

(क) “ऑफ ग्रीड/वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत” – ₹193.47 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(a) “Off Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power”- saving of ₹193.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें दावों/लेखापरीक्षित लेखों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to delay in submission of claims/audited accounts and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “ग्रीड इन्टरैक्टिव नवीकरणीय विद्युत” – ₹1901.83 लाख की बचत (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिशानिर्देशों की पूर्ति न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(b) “Grid Interactive Renewable Power”- saving of ₹1901.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from the State Governments, non-fulfillment of guidelines by the implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(चा) “आरक्षित निधि को अंतरण – राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा को अंतरण” – ₹165386.10 लाख की बचत (₹534170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से आरक्षित निधि को कम अंतरण किए जाने तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कार्यकलापों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(F) “Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Clean Energy Fund” - saving of ₹165386.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹534170.00 lakhs) was due to less transfer to reserve fund owing to non-receipt of viable proposals and non-finalisation of activities under various schemes.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹25428.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर 2017 तथा मार्च 2018 में मुख्य शीर्ष “2810”- “ग्रीड इन्टरैक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत- ऑफ ग्रीड/वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत” के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹25428.11 लाख था।

2. (I) The above savings were partly (₹25428.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2017 and March, 2018 under Major Head “2810” - “Grid Interactive and Distributed Renewable Power - Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power”. Actual excess, however, was ₹25428.11 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4810"	Major Head "4810"			
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on New and Renewable Energy			
मू.	O.	9000.00	5100.00	5099.99
पु.	R.	-3900.00		

(I) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अनुप्रयोग - कार्यालय भवन" के अंतर्गत ₹3900.01 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थाई वित्त समिति से परियोजना अनुमोदन विलंब से मिलने के कारण हुई।

(I) Under "New and Renewable Energy Programmes and Applications - Office Buildings"- saving of ₹3900.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to late receipt of project approval from Standing Finance Committee.